

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक : 1525/ वाद सं० एल-0064/एस-12/2026,

दिनांक: 21/9/2026

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

विपक्षी श्री उमर, मण्डारी चौक नियर पानी की टंकी मेहुवाला, देहरादून द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर विपक्षी द्वारा प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में भू-विन्यास का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत धारा 27 (1) धारा 28 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० एल-0064/एस-12/2026 योजित किया गया। उक्त प्लानिंग दिनांक 30/9/26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

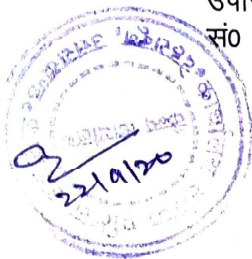
भवदीय,



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1 पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध -जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- 3 थानाध्यक्ष पटेलनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4 सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 5 नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री (जे. सी.बी.)संबन्धित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6 आई०टी अनुभाग एमडीडीए को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 श्री उमर, मण्डारी चौक नियर पानी की टंकी मेहुवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 30/9/26 को ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं० 1444 दिनांक 19.8.2026 के अनुसार मान्य होगी।



भवदीय,



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।